बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– NHM/BHDS/121/2024 - पी०पी०एम० - 13 - / पटना दिनांक: 02/05/2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राज्य स्कीम मद से नारियल पौधा वितरण योजना का वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक, तीन वर्षो के लिए कुल 159.38 लाख (एक करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार) रूपये मात्र की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 63.75 लाख (तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से नारियल पौधा वितरण योजना का वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक, तीन वर्षो के लिए कुल 159.38 लाख (एक करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार) रूपये मात्र की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 63.75 लाख (तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/121/2024- पी०पी०एम०–27 दिनांक–15.03.2024 द्वारा राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक 03 (तीन) वर्षो में कुल 159.38 लाख (एक करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत 63.75 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह एक चालू योजना है।

3. योजना का भौतिक आकार **अनुसूची– 01** के अनुरूप है, जिसकी कुल लागत राशि 63.75 लाख (तिरसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र है। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जाएगा।

4. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/121/2024- पी०पी०एम०–27 दिनांक–15.03.2024 की अनुसूची–3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत नारियल पौधा का वितरण **अनुसूची–2** के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा।

5. नारियल के पौधा की इकाई लागत 85.00 रूपये (उत्पादन व्यय 70.00 रूपये एवं जिला परिवहन व्यय 15.00 रूपये) है। इकाई लागत 85.00 रूपये प्रति पौधा पर 75 प्रतिशत सहायतानुदान यानि 63.75 रूपये देय होगा।

6. जिलावार लक्षित पौधा, नारियल विकास बोर्ड, बिहार, पटना के माध्यम से सहायक निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् नियमानुसार वितरित किया जायेगा। एक लाभार्थी को न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 712 पौधा (प्रति हेक्टेयर 178 पौधा) अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

7. इस योजना अन्तर्गत नारियल पौधा का वितरण वैसे किसानों को किया जायेगा, जो अपने घर के आस–पास अपनी जमीन/बाड़ी/किचेन गार्डेन/खेत में लगाने को इच्छुक होंगे। शहरी क्षेत्र के व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

8. नारियल पौधा का अनुदानित दर पर वितरण एकरारनामा/या जहाँ लगाया जायेगा, उस जमीन का रसीद अनिवार्य होगा।

9. योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय साईट http://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध नारियल पौधा वितरण योजना टैब पर Click कर "आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकेगा।

10. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना अन्तर्गत सभी घटको हेतु कृषकों का चयन **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर किया जायेगा।

11. इस योजना का कार्यान्वयन उद्यान निदेशालय के पत्रांक–1773 दिनांक–04.06.2024 से निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

12. इस योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान – गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएं मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी –सह– उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

13. योजना में स्वीकृत राशि की निकासी, अनुसूची– 02 के आलोक में, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form - 25 पर CFMS 2.0 की विहित रीति से की जायेगी।

14. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

15. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।

16. योजना के कार्यान्वयन में वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

17. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी।	19084.491	50.06734
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी।	4860.000	12.75000
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी।	355.509	0.93266
योग	**24300.000**	**63.75000**
उद्यान निदेशालय के पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्ति होने के पश्चात ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

18. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/121/2024 के पृ0सं0– 51/टि0 पर दिनांक– 30.04.2025 को प्राप्त है।

19. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या NHM/BHDS/121/2024 के पृ0सं0–53/टि0 पर दिनांक–30.04.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–273 दिनांक– 30.04.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/ 2/5/25

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– NHM/BHDS/121/2024 -योजना-13- /पटना दिनांक 02/05/ 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 2/5/25

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Sanction Order (63.75).doc

पत्रांक :— NHM/BHDS/121/2024 - बी०बी०एच०-13 - /पटना दिनांक 02/05/ 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :— NHM/BHDS/121/2024 - बी०बी०एच०-13 - /पटना दिनांक: 02/05/ 2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :— NHM/BHDS/121/2024 - बी०बी०एच०-13 - /पटना दिनांक: 02/05/ 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :— NHM/BHDS/121/2024 - बी०बी०एच०-13 - /पटना दिनांक: 02/05/ 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, नारियल विकास बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान (सभी)/सहायक निदेशक उद्यान (सभी)/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :— NHM/BHDS/121/2024 - बी०बी०एच०-13 - /पटना दिनांक: 02/05/ 2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई—मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

2/5/25

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Sanction Order (63.75).doc

अनुसूची–01

नारियल पौधा वितरण कार्यक्रम (2025–26)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	इकाई लागत प्रति पौधा (लाख रूपया में) परिवहन मूल्य सहित	सहायतानुदान प्रति पौधा (लाख रूपया में)	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपया में)
1	2025-26	0.00085	0.0006375	100000	63.75
कुल				**100000**	**63.75**

(तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र)

(राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–02

नारियल पौधा वितरण कार्यक्रम (2025–26)							
				वित्तीय लक्ष्य @.0006375 (लाख रूपया में)			
क्र०सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	मधेपुरा	सहायक निदेशक उद्यान	6000	3.00404	0.76500	0.05596	3.82500
2	सहरसा		6000	3.00404	0.76500	0.05596	3.82500
3	सुपौल		6000	3.00404	0.76500	0.05596	3.82500
4	अररिया		6000	3.00404	0.76500	0.05596	3.82500
5	कटिहार		6000	3.00404	0.76500	0.05596	3.82500
6	पूर्णियाँ		6000	3.00404	0.76500	0.05596	3.82500
7	किशनगंज		6000	3.00404	0.76500	0.05596	3.82500
8	मधुबनी		6000	3.00404	0.76500	0.05596	3.82500
9	भागलपुर		6000	3.00404	0.76500	0.05596	3.82500
10	बेगुसराय		4000	2.00269	0.51000	0.03731	2.55000
11	खगड़िया		4000	2.00269	0.51000	0.03731	2.55000
12	अरवल		1000	0.50067	0.12750	0.00933	0.63750
13	भोजपुर		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
14	बक्सर		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
15	गोपालगंज		1000	0.50067	0.12750	0.00933	0.63750
16	जहानाबाद		1000	0.50067	0.12750	0.00933	0.63750
17	कैमुर		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
18	लखीसराय		1000	0.50067	0.12750	0.00933	0.63750
19	नवादा		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
20	सारण		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
21	शेखपुरा		1000	0.50067	0.12750	0.00933	0.63750
22	शिवहर		1000	0.50067	0.12750	0.00933	0.63750
23	सीतामढ़ी		1800	0.90121	0.22950	0.01679	1.14750
24	सिवान		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
25	औरंगाबाद		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
26	बाँका		1000	0.50067	0.12750	0.00933	0.63750
27	दरभंगा		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
28	पूर्वी चम्पारण		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
29	गया		1000	0.50067	0.12750	0.00933	0.63750
30	जमुई		1000	0.50067	0.12750	0.00933	0.63750
31	मुंगेर		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
32	मुजफ्फरपुर		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
33	नालन्दा		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
34	पटना		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
35	रोहतास		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
36	समस्तीपुर		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
37	वैशाली		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
38	पश्चिम चम्पारण		1600	0.80108	0.20400	0.01492	1.02000
कुल			**100000**	**50.06734**	**12.75000**	**0.93266**	**63.75000**

(तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार रूपये मा

(राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।

(अभिषेक कुमार)